भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 1821
(10 फरवरी, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पश्चिम बंगाल में पीएमजीएसवाई सड़कें

1821. श्री ज्योतिर्मय सिंह महतो:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2019 से आज की तिथि तक प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के तहत पश्चिम बंगाल में निर्मित सड़कों की पूरी की गई लंबाई , स्वीकृत परियोजनाएं और लंबित कार्यों सहित जिला-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) इसी अवधि के दौरान पुरुलिया जिले में निर्मित पीएमजीएसवाई सड़कों की पूरी सूची सहित स्वीकृत राशि , किया गया व्यय, परियोजना की समय-सीमा और देरी के कारणों, यदि कोई हो, का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पुरुलिया सहित पश्चिम बंगाल की सभी पीएमजीएसवाई सड़कों पर दिशा-निर्देशों के अनुसार अनिवार्य शिलान्यास पत्थर और स्थानीय सांसद तथा अन्य निर्वाचित जन प्रतिनिधियों के नाम वाले साइनबोर्ड लगाए गए हैं और यदि नहीं , तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या मंत्रालय को पुरुलिया जिले में अनियमितताओं , खराब निर्माण गुणवत्ता या साइनबोर्ड प्रदर्शित न करने के संबंध में कोई शिकायत प्राप्त हुई है और यदि हाँ , तो ऐसे मामलों में क्या कार्रवाई की गई है; और

(ङ) क्या तीसरे पक्ष की गुणवत्ता निगरानी एजेंसियों ने पश्चिम बंगाल , विशेषकर पुरुलिया में पीएमजीएसवाई कार्यों का निरीक्षण किया है और ऐसे निरीक्षणों का परिणाम क्या रहा है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के विभिन्न कार्यकलापों/घटकों के तहत , वर्ष 2019 से आज तक (02.02.2026) कुल 4,236 किलोमीटर लंबाई की 562 सड़कें और 26 पुल स्वीकृत किए गए हैं। इसी अवधि के दौरान, 6,425 किलोमीटर लंबाई की 1,966 सड़कें और 54 पुल पूरे किए गए हैं , जिसमें पिछले वर्षों में स्वीकृत कार्यों का पूरा होना भी शामिल है। वर्ष-वार विवरण **अनुबंध-I** में दिए गए हैं। पीएमजीएसवाई- I और II की सभी स्वीकृत परियोजनाएं पीएमजीएसवाई-II के 1 पुल (कालिम्पोंग जिला) को छोड़कर पहले ही पूरी हो चुकी हैं। पीएमजीएसवाई-III के तहत, कुल 4,236 किलोमीटर लंबाई की 562 सड़कें और 6 पुल स्वीकृत किए गए हैं , जिनमें से 1,377 किलोमीटर लंबाई की 133 सड़कें पूरी हो चुकी हैं। 2,844 किलोमीटर लंबाई की 429 सड़कें और 6 पुल निष्पादन के विभिन्न चरणों में हैं (02.02.2026 तक)। पीएमजीएसवाई III को पूरा करने की समय सीमा मार्च 2026 है। जिला-वार विवरण **अनुबंध-II** में दिए गए हैं।

(ख) पुरुलिया जिले में 2019 से आज तक (02.02.2026) प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के विभिन्न कार्यकलापों/घटकों के तहत कुल 187 किलोमीटर लंबाई की 24 सड़कें स्वीकृत की गई हैं। इसी अवधि के दौरान , 373 किलोमीटर लंबाई की 101 सड़कें पूरी की गई हैं , जिसमें पिछले वर्षों में स्वीकृत कार्यों का पूरा होना भी शामिल है (विवरण **अनुबंध-III** में दिए गए हैं)।

पुरुलिया में पीएमजीएसवाई- I और पीएमजीएसवाई- II के तहत सभी स्वीकृत परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं , जबकि पीएमजीएसवाई-III के तहत 152 किलोमीटर लंबाई की 19 सड़कें शेष हैं , जो वर्तमान में कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं (सड़क-वार सूची **अनुबंध-IV** में संलग्न है)। पीएमजीएसवाई- III को पूरा करने की समय सीमा मार्च 2026 है।

पुरुलिया जिले में पूर्ण हुए कार्यों का सड़क-वार विवरण कार्यक्रम की वेबसाइट https://pmgsy.dord.gov.in/ -> प्रगति की निगरानी -> मासिक प्रगति रिपोर्ट -> वित्तीय वर्ष-वार उपलब्धि पर देखा जा सकता है।

(ग) पीएमजीएसवाई के दिशा-निर्देशों (पीएमजीएसवाई-III सहित) में यह अनिवार्य रूप से अपेक्षित है कि योजना के तहत निर्मित या उन्नत की गई सभी सड़कों पर उचित साइनबोर्ड (नागरिक सूचना बोर्ड) होने चाहिए , जिन पर योजना का आधिकारिक नाम , लोगो, सड़क की लंबाई , अनुमानित लागत, ठेकेदार का नाम और पूरा होने की तिथि प्रदर्शित हो। मंत्रालय द्वारा जारी दिनांक 28.07.2011 के परिपत्र के अनुसार, कार्यक्रम से जुड़े सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को शिलान्यास और उद्घाटन समारोहों में विधिवत आमंत्रित किया जाना चाहिए। साथ ही , इसमें यह भी उल्लेख है कि शिलान्यास और सड़क का उद्घाटन माननीय संसद सदस्य (लोकसभा) द्वारा किया जाना चाहिए तथा

समारोह की अध्यक्षता राज्य प्रोटोकॉल के अनुसार स्थानीय मंत्री या अन्य गणमान्य व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए। राज्यों को इस परामर्श को 3 फरवरी, 2022 को पुनः प्रेषित किया गया है **(अनुबंध-V)**।

(घ) कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों के पैरा 15.1 के अनुसार, सड़क कार्यों की गुणवत्ता सुनिश्चित करना कार्यक्रम को कार्यान्वित करने वाली राज्य सरकारों की जिम्मेदारी है। इसलिए, अनियमितताओं, खराब निर्माण गुणवत्ता अथवा साइनबोर्ड प्रदर्शित न करने से संबंधित कोई भी शिकायत सामान्यतः जांच और आवश्यक कार्रवाई के लिए राज्य गुणवत्ता समन्वयक (एसक्यूसी) को भेजी जाती है। यदि निर्धारित समय सीमा के भीतर पर्याप्त प्रतिक्रिया प्राप्त नहीं होती है या उत्तर अपर्याप्त लगता है, तो राष्ट्रीय ग्रामीण अवसंरचना विकास एजेंसी (एनआरआईडीए) राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं (एनक्यूएम) को नियुक्त करती है और आगे की कार्रवाई एनक्यूएम रिपोर्ट के आधार पर की जाती है।

(ङ) गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के तीसरे स्तर के तहत निष्पक्ष निगरानीकर्ताओं द्वारा पीएमजीएसवाई कार्यों का गुणवत्ता निरीक्षण समय-समय पर किया जाता है। अप्रैल, 2019 से आज तक (30.01.2026) की अवधि के लिए पुरुलिया जिले में राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं (एनक्यूएम) और राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं (एसक्यूएम) द्वारा किए गए गुणवत्ता निरीक्षणों और उनकी ग्रेडिंग का विवरण **अनुबंध-VI** में संलग्न है।

*****

अनुबंध-I

वर्ष	स्वीकृत			पूर्ण		
	सड़कों की संख्या	सड़कों की लंबाई (कि.मी.)	पुलों की संख्या	सड़कों की संख्या	पुलों की संख्या	सड़कों की लंबाई
2019-20	-	-	20	835	-	2,174.040
2020-21	-	-	-	472	3	2,176.960
2021-22	-	-	-	303	16	525.964
2022-23	144	856.688	-	182	25	122.665
2023-24	-	-	-	43	10	361.607
2024-25	418	3,379.622	6	95	-	405.402
2025-26 (02-02-2026)	-	-	-	36	-	658.10
कुल:	**562**	**4,236.31**	**26**	**1,966**	**54**	**6,424.74**

अनुबंध-II

क्र. सं.	जिले का नाम	स्वीकृत			पूर्ण			शेष		
		सड़कों की संख्या	सड़क की लंबाई (कि.मी.)	पुलों की संख्या	सड़कों की संख्या	पुलों की संख्या	सड़क की लंबाई (कि.मी.)	सड़कों की संख्या	पुलों की संख्या	सड़क की लंबाई (कि.मी.)
1	बांकुड़ा	34	292.591	0	5	0	82.378	29	0	209.253
2	बीरभूम	34	271.260	0	13	0	129.980	21	0	141.035
3	कूच बिहार	24	194.774	0	1	0	36.970	23	0	157.800
4	दक्षिण दिनाजपुर	16	140.085	0	0	0	32.625	16	0	107.460
5	दार्जिलिंग	14	108.784	0	2	0	11.297	12	0	97.487
6	हुगली	10	65.788	1	2	0	14.228	8	1	51.518
7	हावड़ा	23	129.700	0	13	0	79.046	10	0	44.027
8	जलपाईगुड़ी	19	117.163	2	11	0	95.634	8	2	21.056
9	मालदह	32	241.086	0	13	0	114.418	19	0	125.206
10	मुर्शिदाबाद	44	306.789	0	13	0	213.163	31	0	93.631
11	नादिया	24	138.848	1	10	0	73.057	14	1	65.978
12	उत्तर 24 परगना	51	302.530	0	17	0	124.128	34	0	177.355
13	पश्चिम मेदिनीपुर	28	267.988	0	0	0	30.000	28	0	237.988
14	पूर्ब मेदिनीपुर	34	314.717	0	0	0	17.500	34	0	297.217
15	पुरुलिया	24	187.967	0	5	0	33.888	19	0	152.353
16	सिलीगुड़ी एम.पी.	7	44.827	0	1	0	12.414	6	0	32.408
17	दक्षिण 24-परगना	47	320.352	0	7	0	56.523	40	0	263.829
18	उत्तर दिनाजपुर	22	158.926	0	8	0	78.046	14	0	80.780

19	अलीपुरद्वार	13	100.301	0	0	0	34.000	13	0	66.301
20	पूर्व बर्दवान	27	262.320	1	4	0	26.480	23	1	235.840
21	पश्चिम बर्दवान	17	100.042	1	7	0	57.670	10	1	40.862
22	झारग्राम	9	103.375	0	1	0	24.269	8	0	79.106
23	कलिम्पोंग	9	66.097	0	0	0	0.000	9	0	66.097
कुल:		**562**	**4,236.310**	**6**	**133**	**0**	**1,377.714**	429	6	**2,844.587**

अनुबंध-III : जिला: पुरुलिया

वर्ष	स्वीकृत			पूर्ण		
	सड़कों की संख्या	सड़क की लंबाई (कि.मी.)	पुलों की संख्या	सड़कों की संख्या	पुलों की संख्या	सड़क की लंबाई (कि.मी.)
2019-20	-	-	-	75	-	196.217
2020-21	-	-	-	11	-	134.522
2021-22	-	-	-	10	-	8.477
2022-23	5	31.514	-	-	-	-
2023-24	-	-	-	-	-	11.750
2024-25	19	156.453	-	4	-	16.558
2025-26 (29-01-2026)	-	-	-	1	-	5.58
कुल :	**24**	**187.967**	-	**101**	-	**373.104**

अनुबंध-I V

क्र सं	जिले का नाम	कार्यक्रम कार्यान्वयन इकाई	ब्लॉक का नाम	पैकेज संख्या	स्वीकृती वर्ष	सड़क का नाम/पुल का नाम	स्वीकृति लागत	राज्य लागत	सड़क की लंबाई (कि.मी.)	आज तक पूरी सड़क की लंबाई	आज तक कुल व्यय	प्रगति का चरण
1	पुरुलिया	पुरुलिया की डीपीआईयू	अरशा	डब्ल्यूबी 16741	2024 - 2025	एमआरएल 02- अरशा से विलकॉक्स सड़क (आईएनटी-पुरुलिया-I)	345.26	142.61	7.000	0	0.00	प्रगति
2	पुरुलिया	पुरुलिया की डीपीआईयू	बड़ाबाजार	डब्ल्यूबी 16733	2024 - 2025	एमआरएल12- झारखंड सीमा से पाटपुर	649.99	268.47	13.376	0	151.31	प्रगति
3	पुरुलिया	पुरुलिया की डीपीआईयू	बड़ाबाजार	डब्ल्यूबी 16755	2024 - 2025	एमआरएल 03- बड़ाबाजार से झारखंड सीमा वाया बेराडा	851.64	351.76	16.561	0	151.64	प्रगति
4	पुरुलिया	पुरुलिया की डीपीआईयू	बुंदवान	डब्ल्यूबी 16611	2024 - 2025	टीओ 2- मधुपुर से डांगरजुरी	1,183.86	488.99	14.830	0	0.00	प्रगति
5	पुरुलिया	पुरुलिया की डीपीआईयू	बुंदवान	डब्ल्यूबी 16732	2024 - 2025	एमआरएल08- पुरुलिया रोड से घाघरा मोड वाया लेडशोल रोड	536.76	221.71	9.113	0	0.00	प्रगति
6	पुरुलिया	पुरुलिया की डीपीआईयू	हुरा	डब्ल्यूबी 16734	2024 - 2025	एमआरएल 02- दलदली मोड से केशरगढ़ वाया कजली-छतुमादर	253.80	104.82	4.700	0	0.00	प्रगति
7	पुरुलिया	पुरुलिया की डीपीआईयू	Jaipur	डब्ल्यूबी 16750	2024 - 2025	एमआरएल03- करकरा के निकट जॉयपुर-करकरा रोड से झारखंड सीमा तक	503.14	207.82	10.200	0	0.00	प्रगति
8	पुरुलिया	पुरुलिया की डीपीआईयू	झालदा-II	डब्ल्यूबी 16735	2024 - 2025	एमआरएल 01- दुर्गा से कोटशिला	376.16	155.37	5.030	2.1	154.47	प्रगति
9	पुरुलिया	पुरुलिया की डीपीआईयू	झालदा-II	डब्ल्यूबी 16753	2024 - 2025	टीओ 1-पुरुलिया रांची रोड कोटशिला के पास	293.63	121.28	5.060	0	48.27	प्रगति
10	पुरुलिया	पुरुलिया की डीपीआईयू	काशीपुर	डब्ल्यूबी 16737	2024 - 2025	एमआरएल06- कलियाडा से तालाजुरी मोड़ वाया कुल्टोर	178.57	73.76	3.255	0	0.00	प्रगति
11	पुरुलिया	पुरुलिया की डीपीआईयू	काशीपुर	डब्ल्यूबी 16738	2024 - 2025	एमआरएल16- मंटोरिया होते हुए भालुका (इंद्रबिल) से मनिहारा रोड	375.73	155.19	8.098	0	84.80	प्रगति
12	पुरुलिया	पुरुलिया की डीपीआईयू	काशीपुर	डब्ल्यूबी 16739	2024 - 2025	एमआरएल20- हुरा - सुभाष रोड (बांकुरा बॉर्डर रोड तक)	557.22	230.15	9.807	0	0.00	प्रगति
13	पुरुलिया	पुरुलिया की डीपीआईयू	मनबाजार-I	डब्ल्यूबी 16612	2024 - 2025	एमआरएल 03- मनबाजार से	924.09	381.69	12.300	0	195.68	प्रगति

						डियरपार्क						
14	पुरुलिया	पुरुलिया की डीपीआईयू	मनबाजार-II	डब्ल्यूबी 16743	2024 -2025	एमआरएल07-कुइलापाल-जामटोरिया से दानरिकडोबा	548.98	226.75	9.091	0	85.32	प्रगति
15	पुरुलिया	पुरुलिया की डीपीआईयू	पुरुलिया-I	डब्ल्यूबी 16752	2024 -2025	एमआरएल03-रामनगर से बालिगरा रोड वाया सोनाईजुरी	258.49	106.77	4.110	0	0.00	समझौता
16	पुरुलिया	पुरुलिया की डीपीआईयू	पुरुलिया-II	डब्ल्यूबी 16748	2024 -2025	टीओ 1- पुरुलिया से बोंगाबारी होते हुए दुमदुमी	399.07	164.84	7.600	2	67.13	प्रगति
17	पुरुलिया	पुरुलिया की डीपीआईयू	रघुनाथपुर-I	डब्ल्यूबी16751	2024 -2025	एमआरएल06-रघुनाथपुर-संतुरी रोड से गुहरडांगा के पास आरटीपीएस निरीक्षण बंगला तक वाया नुतांडी	243.44	100.55	3.690	0	0.00	प्रगति
18	पुरुलिया	पुरुलिया की डीपीआईयू	रघुनाथपुर-II	डब्ल्यूबी16781	2024 -2025	एमआरएल08-गोबरंडा मोड़ से रंगमती मोड़ से तेंतुलिया तक	353.46	145.99	4.700	0	0.00	प्रगति
19	पुरुलिया	पुरुलिया की डीपीआईयू	संतुरी	डब्ल्यूबी16745	2024 -2025	एमआरएल06- संतुरी पी.एस. से कडाडांगा वाया गर्शिका	347.12	143.38	7.932	0	0.00	प्रगति
			कुल				**9,180.39**	**3,791.90**	**156.453**	**4.1**	**938.61**	

अनुबंध-V

फाइल नं.पी-17025/24/2022-आरसी (एफएमएस-378848)

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

ग्रामीण संपर्क प्रभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली

दिनांक 3 फरवरी, 2022

सेवा में

सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पीएमजीएसवाई के सभी अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव प्रभारी

विषयः पीएमजीएसवाई कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन समारोहों के लिए जन प्रतिनिधियों को आमंत्रण - के संबंध में।

महोदय/महोदया,

पीएमजीएसवाई में कार्यक्रम की योजना और कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में जन प्रतिनिधियों के साथ परामर्श के लिए एक अंतर्निहित तंत्र है। सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को पहले ही सलाह दी जा चुकी है कि पीएमजीएसवाई के अंतर्गत शामिल की जाने वाली सड़कों के चयन के मामले में , सांसदों और विधायकों सहित निर्वाचित प्रतिनिधियों के सुझावों को विधिवत ध्यान में रखा जाए और उन पर पूर्ण विचार किया जाए। इसके अलावा, कार्यक्रम से जुड़े सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को पीएमजीएसवाई कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन समारोहों में विधिवत आमंत्रित किया जाना चाहिए। इस संबंध में परामर्श जारी किए गए हैं और मंत्रालय द्वारा समय-समय पर राज्य सरकारों को दोहराया गया है। हालाँकि , मंत्रालय की जानकारी में यह आया है कि उपरोक्त परामर्शों के बावजूद , विभिन्न सांसदों से पीएमजीएसवाई कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन समारोहों में उन्हें आमंत्रित नहीं करने के बारे में कई शिकायतें प्राप्त हो रही हैं।

2. इस संबंध में इस मंत्रालय द्वारा 28.7.2011 को सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को एक परामर्श जारी किया गया था (प्रति संलग्न)। उपरोक्त परामर्श का सार सख्त अनुपालन के लिए राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों की जानकारी में एक बार पुनः लाया जाता है:

i. कार्यक्रम से जुड़े सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को पीएमजीएसवाई कार्यों के शिलान्यास और उद्घाटन समारोहों में विधिवत आमंत्रित किया जाना चाहिए;

ii. कार्यक्रम को आधिकारिक कार्यक्रम के अनुरूप आयोजित किया जाना चाहिए , जिसमें प्रोटोकॉल आवश्यकताओं का विशेष रूप से माननीय केंद्रीय मंत्रियों और राज्यों के माननीय मंत्रियों के संबंध में उचित ध्यान रखा जाए;

iii. पीएमजीएसवाई सड़क के लिए आधारशिला माननीय संसद सदस्य (लोक सभा) द्वारा रखी जानी चाहिए और सड़क का उद्घाटन भी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा) द्वारा किया जाना चाहिए , जिसमें कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय माननीय मंत्री या राज्य प्रोटोकॉल के अनुसार अन्य गणमान्य व्यक्ति द्वारा की जाए;

3. राज्यों को पुनः उपर्युक्त दिशानिर्देशों का सख्ती से पालन करने और यह सुनिश्चित करने की सलाह दी जाती है कि इस संबंध में माननीय संसद सदस्यों से ऐसी कोई शिकायत प्राप्त न हो। **इसके अलावा, पट्टिका के साथ माननीय संसद सदस्य की स्पष्ट तस्वीर वाली उद्घाटन और शिलान्यास समारोहों की एक अच्छी गुणवत्ता की फोटो (प्रत्येक) ओएमएमएएस पर अपलोड की जानी चाहिए।**

4. कृपया सभी संबंधित इसे नोट करें और आवश्यक कार्रवाई करें।

भवदीय,

(हस्ता/-)
(के.एम.सिंह)
भारत सरकार के उप सचिव
दूरभाष संख्या:- 011- 2307 0308

प्रति:

1. पीएमजीएसवाई कार्यान्वयन करने वाले राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के सभी सीईओ/मुख्य अभियंता।

2. एनआरआईडीए के सभी निदेशक

एफ-17025/24/2022-आरसी

0991/2022/आरसी

संख्या पी-17025/11/2010-आरसी

भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

कृषि भवन, नई दिल्ली।

दिनांक: 28 जुलाई, 2011

<u>परिपत्र संख्या 10/2011</u>

विषय: पीएमजीएसवाई के तहत पात्र प्रस्तावों के चयन , संयुक्त निरीक्षण और शिलान्यास समारोह में माननीय संसद सदस्यों की भागीदारी।

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) के सफल कार्यान्वयन में माननीय संसद सदस्यों की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। पीएमजीएसवाई ग्रामीण सड़कों की योजना और निगरानी में उनके लिए एक महत्वपूर्ण भूमिका की परिकल्पना करता है।

2. निर्णय लेने के विभिन्न स्तरों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यापक भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से, पीएमजीएसवाई के दिशानिर्देश, अन्य बातों के साथ-साथ, माननीय संसद सदस्यों के साथ परामर्श का प्रावधान करते हैं। उनमें से कुछ इस प्रकार हैं:

क. माननीय संसद सदस्य के सुझावों पर पूर्ण विचार करने के बाद कोर नेटवर्क और जिला ग्रामीण सड़क योजना को जिला पंचायत द्वारा अंतिम रूप दिया जाना अपेक्षित है।

ख. व्यापक नई संपर्क प्राथमिकता सूची (सीएनसीपीएल) और व्यापक उन्नयन प्राथमिकता सूची (सीयूपीएल) को अंतिम रूप देते समय माननीय संसद सदस्यों के सुझाव लिए जाने हैं।

ग. वार्षिक योजना प्रस्तावों को माननीय लोक सभा सदस्यों के साथ उनके निर्वाचन क्षेत्रों के संबंध में और माननीय राज्य सभा सदस्यों के साथ उस जिले के संबंध में परामर्श के बाद अंतिम रूप दिया जाना अपेक्षित है जिसके लिए उन्हें जिला सतर्कता और निगरानी समिति के उपाध्यक्ष के रूप में नामित किया गया है।

घ. माननीय संसद सदस्यों से निर्धारित तिथि तक प्राप्त प्रस्तावों पर जिला पंचायत द्वारा पूर्ण विचार किया जाना अपेक्षित है। माननीय संसद सदस्य को उनके प्रस्तावों को

शामिल करने/शामिल न करने के बारे में शामिल नहीं किए जाने की स्थिति में प्रत्येक मामले में दिए गए कारणों के साथ सूचित किया जाना अपेक्षित है।

3. पीएमजीएसवाई परियोजनाओं के निरीक्षण और पीएमजीएसवाई के तहत शिलान्यास समारोह में माननीय सांसदों की भागीदारी के संबंध में दिनांक 1 मार्च, 2010 के पूर्व पत्र संख्या पी-17025/11/2010-आरसी के क्रम में माननीय ग्रामीण विकास मंत्री ने संसद के सभी माननीय सदस्यों को दिनांक 21 अप्रैल, 2010 के अर्धशासकीय पत्र संख्या पी 17025/11/2010-आरसी के माध्यम से लिखा है।
4. राज्य सरकारों को पीएमजीएसवाई परियोजनाओं के संयुक्त निरीक्षण की व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए भी स्मरण कराया गया है। निरीक्षण की प्रक्रिया निम्नानुसार होनी चाहिए:-

i. क्षेत्र के प्रभारी अधीक्षण अभियंता माननीय संसद सदस्यों और उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व करने वाले जिला पंचायत के अध्यक्ष से संसद सदस्यों और जिला पंचायत के अध्यक्ष की सुविधा के अनुसार छह महीने में एक बार पीएमजीएसवाई सड़क कार्यों के संयुक्त निरीक्षण के लिए अनुरोध करेंगे।

ii. खंड के प्रभारी कार्यपालक अभियंता संबंधित विधायक/मध्यवर्ती पंचायत के अध्यक्ष से उनकी सुविधा के अनुसार तीन महीने में एक बार संयुक्त निरीक्षण के लिए अनुरोध करेंगे।

iii. उपखंड के प्रभारी सहायक अभियंता संबंधित अध्यक्ष , ग्राम पंचायत से दो महीने में एक बार संयुक्त निरीक्षण के लिए अनुरोध करेंगे।

5. उपरोक्त शर्तों के बावजूद, जैसा कि संसद के कई माननीय सदस्यों द्वारा बताया गया है। कुछ राज्य इन निर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं उन्होंने यह भी बताया है कि उन्हें आधारशिला रखने या पीएमजीएसवाई सड़कों का उद्घाटन करने के लिए आमंत्रित नहीं किया जा रहा है। अतः, राज्य सरकारों द्वारा सख्त अनुपालन के लिए निम्नलिखित शर्तें पुनः जारी किए जाते हैं:-

(क) कार्यक्रम से जुड़े सभी निर्वाचित प्रतिनिधियों को शिलान्यास और उद्घाटन समारोहों में विधिवत आमंत्रित किया जाना चाहिए।

(ख) कार्यक्रम को आधिकारिक कार्यक्रमों के अनुरूप आयोजित किया जाना चाहिए , जिसमें प्रोटोकॉल आवश्यकताओं का माननीय केंद्रीय मंत्रियों और राज्यों के माननीय मंत्रियों के संबंध में विशेष रूप से ध्यान रखा जाए; और

(ग) पीएमजीएसवाई सड़क की आधारशिला रखी जानी चाहिए और सड़क का उद्घाटन भी माननीय संसद सदस्य (लोक सभा) द्वारा किया जाना चाहिए , जिसमें राज्य प्रोटोकॉल के अनुसार कार्यक्रम की अध्यक्षता स्थानीय माननीय मंत्री या अन्य गणमान्य व्यक्ति द्वारा की जाए।

(घ) विचार के लिए नई परियोजना प्रस्ताव भेजते समय , संबंधित माननीय संसद सदस्य द्वारा हाल ही में किए गए शिलान्यास समारोह या सड़क के उद्घाटन की डिजिटल तस्वीरें अनिवार्य रूप से संलग्न की जानी चाहिए। यदि माननीय संसद सदस्य किसी शिलान्यास या उद्घाटन समारोह में उपस्थित नहीं हो सके , तो शिलान्यास या उद्घाटन समारोह के लिए उन्हें आमंत्रित करने वाले पत्रों की प्रतियां भी नए डीपीआर के साथ संलग्न की जानी चाहिए।

6. कृपया पैरा 2.4 और 5 के अनुसार कार्रवाई सुनिश्चित करें।

(हस्ता/-)
(एस.आर. मीणा)
निदेशक (आरसी)

सेवा में

सभी राज्यों के प्रधान सचिव/पीएमजीएसवाई के प्रभारी सचिव

प्रति:

(i) सचिव (आरडी) के निजी सचिव/जेएस (आरसी) के निजी सचिव

(ii) आरसी प्रभाग और एनआरआरडीए के निदेशक

(iii) तकनीकी निदेशक (एनआईसी)

(iv) गार्ड फाइल

अनुबंध-VI

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में एनक्यूएम गुणवत्ता ग्रेडिंग (01 अप्रैल, 2019 से 30 जनवरी, 2026 तक)					
जिला	एस	एसआरआई	यू	यू %	कुल
पुरुलिया	पूर्ण कार्य				
	4	0	0	0.00%	4
	जारी कार्य				
	14	1	1	6.25%	16
	मरम्मत कार्य				
	2	0	1	33.33%	3
	निरीक्षणों की कुल संख्या				23

पश्चिम बंगाल के पुरुलिया जिले में एसक्यूएम गुणवत्ता ग्रेडिंग (01 अप्रैल, 2019 से 30 जनवरी, 2026 तक)					
जिला	एस	एसआरआई	यू	यू%	कुल
पुरुलिया	पूर्ण कार्य				
	129	2	1	0.76%	132
	जारी कार्य				
	119	1	5	4.00%	125
	मरम्मत कार्य				
	513	10	54	9.36%	577
	निरीक्षणों की कुल संख्या				834

*****